तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए/3822/2006/कोटा मोहनलाल वगैरहा बनाम मदनलाल वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ (मु. कोटा)
श्री सी.आर.मीणा, सदस्य

उपस्थित
श्री एन.के.गुप्ता, अधिवक्ता, प्रार्थीगण
श्री जगदीश प्रसाद शर्मा, अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या 1 से 3
शेष अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही

निर्णय

दिनांकः- 14-07-2022

यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा पारित आदेश दिनांक 03-4-2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

आलोच्य आदेशानुसार अधीनस्थ न्यायालय ने विपक्षी संख्या 12 व 13 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी बाबत पक्षकार बनाये जाने को स्वीकार किया है।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली व आक्षेपित आदेश का अवलोकन व अध्ययन किया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं पारित निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा के समक्ष प्रार्थीगण/वादीगण ने प्रश्नगत आराजियात के संबंध में अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के विरूद्ध विभाजन का वाद पेश किया। जिसे विचारण न्यायालय ने वाद संख्या 58/2004 बउनवान मोहनलाल बनाम मदनलाल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए/3822/2006/कोटा मोहनलाल वगैरहा बनाम मदनलाल वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	संस्थित किया। उक्त वाद के विचारण के दौरान विपक्षी संख्या 12 व 13 के द्वारा दिनांक 07-6-2005 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी बाबत प्रतिवादी संख्या 12 के स्थान पर बनवारी लाल की पत्नि उर्मिला तथा पुत्री ज्योति को पक्षकार बनाये जाने के संबंध में पेश किया, जिसे विचारण न्यायालय ने आक्षेपित आदेश से स्वीकार किया है। इस न्यायालय द्वारा विपक्षी द्वारा पेश आलोच्य प्रार्थना पत्र में दर्शाये गये कारणों का परीक्षण किया है। उक्त प्रार्थना पत्र में दर्शाये अनुसार विपक्षी बनवारी लाल का लापता होने के तथ्य को आधारित किया है तथा प्रार्थीनी द्वारा स्वयं को बनवारी लाल की पत्नि व ज्योति (जिसकी उम्र 5 वर्ष) उसे पुत्री बताकर बनवारी लाल के स्थान पर पक्षकार बनाने का अनुरोध किया है। परन्तु आवेदनकर्त्ता द्वारा बनवारीलाल के लापता होने के तथ्य के बाबत न्यायालय के समक्ष पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की है। आदेश 1 नियम 10 सीपीसी में प्रावधित प्रावधानों के तहत नवीन जोडे जाने वाले व्यक्ति हेतु प्रकरण में पर्याप्त साक्ष्य का होना आवश्यक है। न्यायालय साक्ष्य का मोहताज है तथा अपूर्ण साक्ष्य के पारित किया गया निर्णय त्रुटिपूर्ण होना माना जाता है। इसके अतिरिक्त आक्षेपित आदेश के पठन मात्र से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थना पत्र में दर्शाये गए अभिवचनों का निर्णय जिन नियम तथा धाराओं पर अपेक्षित था, उन नियम तथा धाराओं का अधीनस्थ न्यायालय ने आक्षेपित आदेश में विधिनुसार सम्यक विवेचन नहीं किया है। तदनुसार मामले में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश अकारण तथा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए/3822/2006/कोटा मोहनलाल वगैरहा बनाम मदनलाल वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अस्पष्ट होना निर्धारित किया जाता है। अतएवं आक्षेपित आदेश समर्थन योग्य नहीं है। हमारे मतानुसार प्रस्तुत निगरानी में तथ्य एवं विधिक का बिन्दु निहित होने के कारण इसे स्वीकार कर आक्षेपित आदेश को निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा पारित आदेश दिनांक 03–04–2006 को निरस्त किया जाता है। उल्लेखनीय है कि आलोच्य उनवानी वाद विचारण न्यायालय के समक्ष वर्ष 2004 में दायर किया गया है तथा वर्तमान में दावे में अपेक्षित कार्यवाही का अभाव है। इस कारण न्यायहित में विचारण न्यायालय को आदेशित किया जाता है कि न्यायालय मूल वाद की कार्यवाही में विधि के प्रावधानों अर्थात साक्ष्य अधिनियम की धारा 108 के तहत उचित परीक्षण कर उभयपक्ष को सुनकर आगामी विचारण करते हुए यथाशीघ्र विधि सम्मत निर्णय पारित किया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सी.आर.मीणा)
सदस्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए/3822/2006/कोटा मोहनलाल वगैरहा बनाम मदनलाल वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए/4684/2021/नागौर जगदीश बनाम चैनाराम वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकल पीठ **श्री सी.आर.मीणा, सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए/4684/2021/नागौर जगदीश बनाम चैनाराम वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

उपस्थित

श्रीमती सविता चौहान, अधिवक्ता, प्रार्थी
श्री उमेश कुमार, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांकः– 30–06–2022

प्रार्थी ने यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–09–2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

आलोच्य आदेशानुसार राजस्व अपील प्राधिकारी ने अप्रार्थी संख्या– 6 ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सिविल प्रक्रिया संहिता को स्वीकार लम्बित अपील में प्रत्यर्थीगण के रूप में पक्षकार बनाया है।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम एवं विधि के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि मूल वाद प्रार्थी द्वारा ही दायर किया गया है तथा विचारण न्यायालय द्वारा जारी डिक्री के विरूद्ध पेश की अपील वर्तमान लम्बित चली आ रही है, जिससे यह स्पष्ट है कि वादी की मंशा के विरूद्ध किसी तृतीय व्यक्ति को पक्षकार संयोजित नहीं किया जा सकता। उनका आगे कथन है कि अप्रार्थी संख्या 6 जिन आधारों को लेकर अपील में पक्षकार संयोजित होना

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए/4684/2021/नागौर जगदीश बनाम चैनाराम वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	चाहता है तथा वह ऐसे आधार जिनके आधार पर नवीन पक्षकार संयोजित नहीं किया जा सकता। यहीं नहीं अपीलीय न्यायालय के समक्ष आवेदक के प्रार्थना पत्र का विस्तार से खण्डन उनके द्वारा मय शपथ पत्र पेश किया गया है, जिसका अपीलीय न्यायालय ने समुचित विवेचन आक्षेपित निर्णय में नहीं किया गया है। इस प्रकार आक्षेपित आदेश अकारण व अस्पष्ट होने के कारण त्रुटिपूर्ण होने से जरिये निगरानी खारिज किए जाने योग्य है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत निगरानी खारिज कर राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14–09–2021 को निरस्त किए जाने का निवेदन किया। योग्य अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि अपील में निहित आराजी विवादित आराजी का अप्रार्थी संख्या 6 राजस्व रेकार्ड जमाबंदी सम्वत 2073–2076 में सहखातेदार के रूप में दर्ज चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में आवेदक प्रश्नगत आराजी का आवश्यक एवं हितबद्ध पक्षकार होने के कारण अपीलीय न्यायालय ने उन्हें पक्षकार संयोजित करने में किसी विधि का उल्लंघन नहीं किया है। इसके अतिरिक्त आक्षेपित आदेश विधि सम्मत होने के कारण ऐसे आदेश को अन्यथा सिद्ध करने बाबत प्रार्थी ने निगरानी मीमो में किन्हीं तथ्यों का समावेश नहीं किए जाने के कारण प्रस्तुत निगरानी स्वतः ही सारहीन होना प्रकट होती है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत निगरानी खारिज कर आक्षेपित निर्णय को यथावत रखे जाने का निवेदन किया। हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं पारित निर्णय के	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए/4684/2021/नागौर जगदीश बनाम चैनाराम वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रियांबडी के समक्ष प्रार्थी/वादी ने प्रश्नगत आराजी के क्रम में घोषणा, खातेदारी, बंटवारा, रेकार्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद विपक्षीगण/प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश किया। उक्त वाद पत्र का प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अपना राजीनामा पेश किया तथा प्रतिवादी संख्या 3 ने अपना जवाबदावा पेश कर वाद के कथनों को अस्वीकार कर वाद/वादी को खारिज करने का निवेदन किया। वाद, जवाबदावा के आधार पर विचारण न्यायालय ने विचाराधीन वाद में 5 विवाद्यक कायम कर प्रत्येक विवाद्यक को पृथक–पृथक विरचित करते हुए आलोच्य वाद को दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित होना मानते हुए आज्ञा 04–09–2020 पारित कर वादी के वाद को स्वीकार कर लिया। उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध विपक्षी चैनाराम ने प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर के समक्ष अपील पेश की। उक्त अपील के विचारण के दौरान अप्रार्थी संख्या 6 परमाराम ने आलोच्य अपील में बतौर प्रत्यर्थीगण पक्षकार संयोजित करने बाबत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पेश किया, जिसे न्यायालय ने आक्षेपित आदेश से स्वीकार कर लिया। उपलब्ध रेकार्ड के विधिक परीक्षण के उपरान्त यह पाया जाता है कि आवेदक राजस्व रेकार्ड जमाबंदी सम्वत 2073–2076 से प्रश्नगत आराजी का सहखातेदार के रूप में दर्ज चला आ रहा है। उक्त राजस्व रेकार्ड की रोशनी में यह पाया जाता है कि प्रश्नगत आराजी बाबत विचाराधीन अपील में आवेदक का हित व अधिकार होने से वह व्यथित व हितबद्ध पक्षकार की श्रेणी में आहूत होता है। उल्लेखनीय है कि	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए/4684/2021/नागौर जगदीश बनाम चैनाराम वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील का अन्तिम निस्तारण करने की स्थिति में उसके हित प्रभावित होना सम्भावित है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 6 को अपीलीय न्यायालय के समक्ष लम्बित अपील में पक्षकार बनाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा इन्हीं तथ्यों एवं विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए अप्रार्थी संख्या 6 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत पक्षकार बनाये जाने को स्वीकार कर लम्बित अपील में प्रत्यर्थीगण के रूप में पक्षकार बनाया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित विधि सम्मत् आदेश में निगरानी के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। स्थिति यह प्रकट होती है कि निगराकार ने निगरानी मीमो में असंगत आधार अभिवचित करने के कारण उन्हें किसी प्रकार का अनुतोष देय नहीं है। वैसे भी निगरानी का दायरा अत्यन्त सीमित होता है कि तथा निगराधीन आदेश में तभी हस्तक्षेप किया जाता है जबकि पारित किया गया आदेश क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग अथवा विधिक प्रावधानों के विपरीत पारित किया गया हो। आलोच्य प्रकरण में ऐसा प्रतीत नहीं होता है। परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर द्वारा पारित निगराधीन निर्णय दिनांक 14–09–2021 को यथावत रखा जाता है। न्यायहित में प्रथम अपीलीय न्यायालय को आदेशित किया जाता है कि	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए/4684/2021/नागौर जगदीश बनाम चैनाराम वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	उनके समक्ष विचाराधीन आलोच्य अपील में विधि के प्रावधानों के तहत आगामी विचारण करना सुनिश्चित करें। निर्णय की सूचना उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण को दी जावे। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(सी.आर.मीणा)** **सदस्य**	